

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

दिनांक 30 जून, 2020

सं- 172/14वां वित्त आ0 /नि0का0 /टेण्डर/ 2020-21

अल्प कालिक निविदा सूचना

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत निर्माण कार्यों में से निम्नलिखित 09 निर्माण कार्यों की निविदायें नगर पालिका परिषद बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में वर्ष 2019-20/2020-21 में पंजीकृत फार्म/टेकेदारों (जिनके बहराइच के निर्माण अनुभाग में, 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एवं 3- उपजिलाधिकारी बहराइच कार्यालय में सीलबन्ध आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बहराइच के कार्यालय कक्ष में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा उपस्थित टेकेदारों के समक्ष सायं 4:30 बजे निविदायें खोली जायेगी। निविदा के साथ ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप) तथा 02 % धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0 /एफ0डी0आर0 /टी0डी0आर0 /सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बन्धक हो, प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक धरोहर धनराशि टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा। निविदा फार्म नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एवं उपजिलाधिकारी बहराइच कार्यालय से दिनांक 13.07.2020 कार्यालय अवधि (प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बन्धित निविदा सूचना नगरपालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट - WWW.bahraichnpp.in पर देखी जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	02 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जी0एस0टी0 18 %	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य समाप्त करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो0 नेवरैय्या में शब्बीर कम्पाउण्डर के मकान से काजी नफीस अहमद के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	773450.00	15500.00	800.00	144.00	944.00	दो माह
2	मो0 सूफीपुरा में के0के0 खन्ना के मकान से पंचवटी के पीछे तक नाला उच्चीकरण का कार्य।	998100.00	20000.00	1000.00	180.00	1180.00	दो माह
3	मो0 चांदमारी में सिटी कान्वेंट स्कूल से पुत्तिलाल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	987610.00	20000.00	1000.00	180.00	1180.00	दो माह
4	मो0 सलारगंज में ललऊ के मकान से आमना मस्जिद तक व सलीम के मकान से आतिफ के मकान के पास तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	977300.00	20000.00	1000.00	180.00	1180.00	दो माह
5	मो0 मीराखेलपुरा में छायाकुंआ से राजकुमार सैनी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	701950.00	14100.00	750.00	135.00	885.00	दो माह
6	मो0 मीराखेलपुरा/काजीपुरा में श्री राम लखन के मकान से मास्टर जावेद के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	799360.00	16000.00	800.00	144.00	944.00	दो माह
7	मो0 मीराखेलपुरा में श्री गिरधारी लाल अग्रवाल के मकान से स्व0 केदार पडवा के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	796910.00	16000.00	800.00	144.00	944.00	दो माह
8	मो0 नौव्वागढी में मून एण्ड सन स्कूल के पास नन्द कुमार श्रीवास्तव के मकान से राधा सदन, इन्द्रसेन के मकान होते हुए संगम लाल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	634850.00	12700.00	650.00	117.00	767.00	दो माह

9	पुलिस लाइन के मूक बधिर स्कूल में टाइल्स लगाने एवं दीवार की मरम्मत का कार्य।	870850.00	17500.00	900.00	162.00	1062.00	दो माह
---	-----------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--------	--------	---------	--------

शर्तें-

- 1- निविदा के सील बन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- 2- सील बन्द निविदायें अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच, प्रमारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बहराइच एवं उप जिलाधिकारी बहराइच के कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में दिनांक 14.07.2020 को सायं 4:00 बजे तक ही निविदायें डाली जायेगी, जो उसी दिन 4:30 बजे अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बहराइच के कार्यालय में खोली जायेगी।
- 3- अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा की बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खोलने की तिथि पर किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी। स्थान व समय तथा निविदा की बैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।
- 4- निविदा स्वीकृत/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- 5- कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने पर अलग-अलग फोटो ग्राफ देना होगा एवं कार्य प्रारम्भ से पहले स्थल पर साइन बोर्ड ठेकेदार को लगाना होगा।
- 6- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।
- 7- निविदा स्वीकृत उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ की सूचना अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को लिखित रूप में ठेकेदार को देना होगा। तदुपरान्त अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 8- कार्य स्थल पर सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो ठेकेदार को तत्काल अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य को मानक के अनुरूप पूर्ण कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 9- प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र सं०-24वी०आई०पी०(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के प्रस्तर -2 में दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष का अनुरक्षण/रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार/फर्म की होगी। परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफारमेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सडक के समुचित रखरखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
- 10- नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के अतिरिक्त अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को टेण्डर फार्म कय करने के समय विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में प्रस्तुत करनी होगी तथा निविदा के साथ पंजीकरण, हैंसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी०एस०टी० एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व:प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करानी होगी।
- 12- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त समस्त न्यूनतम निविदादाताओं को अनुबन्ध से पूर्व 08 प्रतिशत जमानत धनराशि की टी०डी०आर०/एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के नाम से बन्धक हो जमा करना होगा तभी अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को छोड़कर अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- 13- प्रत्येक कार्य हेतु तीन-तीन निविदायें प्राप्त होने पर ही निविदा की स्वीकृति पर कार्यवाही की जायेगी।
- 14- प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। इस सम्बंध में किसी का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 15- निर्माण कार्य के स्वीकृत आगणन में 01 प्रतिशत सेस तथा 12 प्रतिशत जी०एस०टी० सम्मिलित है। जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 16- निविदादाता के हैंसियत/चरित्र प्रमाण पत्र की समयावधि निर्धारित समय के अन्दर की होनी चाहिए। चरित्र/हेंसियत प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाने वाले ठेकेदारों/फर्मों की निविदायें स्वीकार नहीं होंगी।
- 17- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(पवन कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

(रुबीना रेहान)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।